

पत्रावली
3/11/2019
जिला बाड़मेर

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 09/19... राजस्थान गैर-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल गैरसायल
राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री...एलिशास... पुत्र सलार...
पटवारी हल्का राणासर जाति मुसलमान निवासी देताणी...
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की ~~अनु~~/अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राणासर... ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देताणी... के खसरा नम्बर 2525... रकबा 256... बीघा में से 104... बीघा किस्म शुद्ध गोचर... राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर शुद्धास... रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हों।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

(सुनी)
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना 50 फसल नि.
कुल योग 50 जि.के पृष्ठ सं. 26
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया ।

तहसीलदार राजस्व लेखाकार